भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2118

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज

2118. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 28 प्रतिशत खाद्यान्न गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कर्नाटक सहित राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग): प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत कर दिया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्डों को आधार संख्या के साथ जोड़ दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर शुरू किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुडुचेरी के अतिरिक्त, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन शुरू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। देश की लगभग सभी उचित दर दुकानों को कवर करते हुए 5.41 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का संचालन किया जाता है। ये ई-पीओएस उपकरण वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम बनाते हैं, जिससे सही लक्ष्यीकरण का सिद्धांत सक्षम होता है। लगभग 98% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे अयोग्य लाभार्थियों कम हो रहे हैं और सही लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

*****